न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/112/2018	29—10—2018	09—07—2019

1— मनोहर सिंह पुत्र गिल्लूराम जाति जाट निवासी ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1— नायब तहसीलदार रैणी, जिला अलवर राज0।

—रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार रैणी नामान्तरकरण संख्या 272 वाके पिनान तहसील रैणी जिला अलवर दिनांक 10.06.1994

उपस्थितः—

01. श्री प्रभुसिंह चौधरी

—वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 10.06.1994 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 272 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर बेजा तौर पर गलत नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। आराजी खसरा नम्बर 3926 रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर का 1/3 में से 1/6 हिस्सा जरिये बयनामा दिनांक 24.09.1993 को बाबूलाल, मुंशीलाल, गोविन्दसहाय पुत्रान् गंगासहाय जाति लखेरा निवासी ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर से खरीद किया जो दिनांक 24.09.1993 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त बयनामें में मिन अपीलांट का नाम मनोहरसिंह पुत्र गिल्लूराम अंकित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय मनोहर सिंह के स्थान पर मोहर सिंह दर्ज कर दिया। जिसका पता दिनांक 18.10.2018 को हुआ, जब अपीलांट बैंक से लॉन लेने गया तो बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि जमाबंदी में आपका नाम मोहर सिंह दर्ज है। उसी दिन नकल का प्रा0पत्र पेश कर अपील दायर की गई। देरी के लिये पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया गया। अपीलांट मनोहर सिंह के नाम से परिवार राशन कार्ड व आधार कार्ड की प्रति संलग्न की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उक्त इंतकाल संख्या 272 के कॉलम नं0 9 में मोहर सिंह के स्थान पर मनोहर सिंह दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि बयनामा दिनांक 24.09.1993 में अपीलांट का नाम मनोहर सिंह पुत्र गिल्लूराम जाति जाट निवासी ग्राम पिनान अंकित है तथा अन्य दस्तावेजात् के अवलोकन से भी अपीलांट का नाम मनोहर सिंह पुत्र गिल्लूराम होना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय मनोहर सिंह के स्थान पर मोहर सिंह दर्ज कर त्रुटि की है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि इंतकाल संख्या 272 निर्णय दिनांक 10.06.1994 में अपीलांट का नाम मोहर सिंह के स्थान पर मनोहर सिंह दर्ज किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रैणी को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9-7-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)